न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 13/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मेजर सिंह पुत्र मंगल सिंह जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्री करणपुर। 2. हरजिन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्री करणपुर। 3. मंगल सिंह पुत्र कर्म सिंह जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्री करणपुर।		1. भजन सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह जटसिख निवासी 47 एफ तहसील श्री करणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:-20.06.2019

उपस्थित: 1.श्री अशोक जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

--निर्णय-- दिनांक : 27/01/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिए अधिवक्ता श्री अशोक जोशी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 71/73 के मु.न. 42, 56, 58, 69/25, 69/27 की कुल 12.637 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 06/10 के मुरब्बा नम्बर 20, 39, 44, 64 की कुल 5.895 हैक्टर नहरी भूमि अप्रार्थी के पिता कलवन्त सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कुलवन्त सिंह द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1/2, 10/2, 11/2 व 20/2 प्रत्येक 0.025 हैक्टर, किला नम्बर 21/2 की 0.026 हैक्टर नहरी कुल 0.126 हैक्टर नहरी भूमि जो रास्ता के लिए ही प्रयोग में लाई जा रही है, मुरब्बा नम्बर 57 के काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 भजन सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह के साथ दिनांक 30.01.2019 को तबादला कर लिया। इस तबादलानामा का भी राजस्व रिकॉर्ड में जरिए नामान्तरण संख्या 508, भजन सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 56 में काश्त हेतु चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1 ता 5 में मंजूर शुदा सडक से चल कर इसी मुरब्बा की अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 की मौका पर चालू 2-2 [illegible] में से गुजर कर अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 56 के किला [illegible] करते हैं। यही एक रास्ता प्रार्थीगण को अपने खेत में कृषि कार्य हेतु आने जाने [illegible] है। उक्त चालू रास्ता मंजूर शुदा नहीं है। यह अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पूर्व में यह भूमि मूल खातेदार कलवन्त सिंह के नाम दर्ज थी, इस भूमि में से प्रार्थीगण विगत 40 वर्षो से भी अधिक समय से अपनी कृषि भूमि में आवागमन करते आ रहे है। चूकिं उक्त भूमि भजन सिंह ने तबादला में ले ली है, उक्त मुरब्बा नम्बर 44 के स्वामी द्वारा उक्त रास्ता को बंद कर लेने की सदैव आशंका बनी हुई है। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:47:32 IST
Reason: SelfAttested

27/01/21

प्रार्थीगण उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहते है। इस हेतु प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 से मिले तथा उनसे निवेदन किया कि उक्त रास्ता को मंजूर करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवा देवे। पहले तो अप्रार्थी रास्ता मंजूर करवाने की सहमति देता रहा। लेकिन फिर ऐसा करने से इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता की एवज में भूमि की किमत अप्रार्थी को देने के लिए तैयार है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 प्रत्येक में से पश्चिमी दिशा की ओर 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश देने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार यह कहना गलत है कि मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1/2, 10/2, 11/2 व 20/2 प्रत्येक 0.025 हैक्टर, किला नम्बर 21/2 की 0.026 हैक्टर नहरी कुल 0.126 हैक्टर नहरी भूमि जो रास्ता के लिए ही प्रयोग में लाई जा रही है। यह कहना गलत है कि प्रार्थीगण के द्वारा अपनी भूमि को काश्त करने के लिए उक्त रास्ता का उपयोग करते हो। यह कहना भी गलत है कि उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के द्वारा अपनी भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता न हो। तथा उक्त रास्ता विगत 40 वर्षो से चालू हो। सही तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त रास्ता कभी चालू रहा ही नहीं। अतिरिक्त कथन के अनुसार मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में से पश्चिमी ओर 2-2 बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करने की मांग की गई है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता मौके पर कई वर्षो से चालू होना मिथ्या कथन अंकित किए गए है। इस सम्बन्ध में सही तथ्य इस प्रकार से है कि मुरब्बा नम्बर 22 में चक 47 एफ की आबादी स्थित है। मुरब्बा नम्बर 47 के दक्षिण दिशा में मुरब्बा नम्बर 37 स्थित है। मुरब्बा नम्बर 22 में से चलकर मुरब्बा नम्बर 37 व उसके दक्षिण दिशा में स्थित मुरब्बा नम्बर 47 में स्वीकृत रास्ता का उपयोग करते हुए नहर की पटरी का उपयोग सभी काश्तकार अपने खेतों में आने जाने के लिए करते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में कभी कोई रास्ता ना तो चालू रहा है और ना ही आज मौका पर चालू है और ना ही प्रार्थीगण द्वारा कभी उक्त कृषि भूमि का उपयोग रास्ता के रूप में किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के विपरीत, मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से एवं तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर की रिपोर्ट से विरोधाभासी होने से [illegible] सहित अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर [illegible] 832 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा प्राप्त हुई। जिसके अनुसार चक 47 एफ आबादी मुरब्बा नम्बर 22 के दक्षिण - पूर्व में मुरब्बा नम्बर 37 के स्वीकृत शुदा रास्ते किला नम्बर 1,10,11,20,21 पर चलकर दक्षिण-पश्चिम में मुरब्बा नम्बर 46,45,44 के किला नम्बर 1 से 5 तक स्वीकृत शुदा रास्ते से जाया जा सकता है। प्रार्थी ने मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5 से स्वीकृत रास्ते पर किला नम्बर 1 तक पहुचने के बाद किला नम्बर 1 से 21 तक 2-2 बिस्वा रास्ता देने पर वादी मुरब्बा नम्बर 44 के दक्षिण में अपने खेत मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 1 में प्रवेश कर जाएगा इस विकल्प में वादी को कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:32 IST
Reason: SelfAttested

1250 मीटर चलना पडेगा एंव कुल 10 बिस्वा भूमि रास्ते की एवज में देनी पडेगी। एक अन्य प्रस्ताव में उपरोक्त विकल्प संख्या 1 अनुसार स्वीकृत शुदा रास्ता पर चलकर मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5 तक पहुच कर दक्षिण में इसी मुरब्बे के किला नम्बर 5,6,15,16,25 से 2-2 बिस्वा रास्ता देने से वादी अपनी जोत मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 5 से होकर प्रवेश कर सकता है। इस प्रस्ताव में वादी को आबादी से कुल 1000 मीटर लगभग चलना पडेगा एंव रास्ते की एवज में भूमि भी पूर्व के समान 10 बिस्वा ही देनी पडेगी। किन्तु उक्त प्रस्ताव में रास्ते के रूप में जाने वाले मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 की भूमि अन्य खातेदार की होने से प्रकरण में प्रतिवादीगण बदल जाऐगे। वादी को अपनी कृषि जोत तक पहुचने हेतु रास्ते की वास्तविक आवश्यकता है।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन कियां गया। प्रार्थीगण के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 71/73 के मु.न. 56 में स्थित 6.123 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी के चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 प्रत्येक में से पश्चिम की ओर 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किए जाने बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि मौका पर कोई रास्ता नहीं चल रहा । उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किये जाने की दशा में प्रार्थीगण को कुल 1250 मीटर चलना पडेगा। जबकि अन्य प्रस्ताव के मुताबिक विकल्प के रूप में प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में से 2-2 बिस्वा रास्ता देने से प्रार्थीगण अपनी जोत मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 5 में प्रवेश कर सकते है। इस प्रस्ताव में प्रार्थीगण को कुल 1000 मीटर लगभग चलना पडेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को निकटतम मार्ग मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में विद्यमान है, व प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार वैकल्पिक रास्ता मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में की भूमि के खातेदार प्रकरण में पक्षकार नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत मे पहुचने हेतु रास्ते की वास्तविक आवश्यकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:32 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के मु.न. 44 के किला न. 1,10,11,20,21 प्रत्येक में से पश्चिमी दिशा की ओर से 2-2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा गैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की 10 बिस्वा भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 1 को 10 बिस्वा भूमि देय होगी जो प्रार्थीगण अपनी भूमि में से अप्रार्थी के साथ चिपती भूमि में से देगा या डीएलसी रेट की दोगुनी राशि का भुगतान करेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस आश्य का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो।

मेजर सिंह आदि बनाम भजन सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए आरटीए, प्रकरण संख्या 13/2019

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

27/01/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 27/01/21 .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/01/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:32 IST
Reason: SelfAttested